फर्द अहकाम

न्यायालय :- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद, जिला-प्रतापगढ़

नियमित दाण्डिक प्र.सं. 350 / 2021

राज्य बनाम रमेश वगैरह

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तमील में जारी हुये।
	दिनांक: **22.11.2024** अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित। प्रकरण में अभियुक्त परतु को जरिये राजीनामा दिनांक 30.05.2022 को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त रमेश का गिरफ्तारी वारंट अदम तामील मय तस्दीक के पेश किया है कि अभियुक्त मजदूरी करने बाहर गया है, जिसका कोई अता पता नहीं है। तामील कुनिन्दा भैरूलाल, कानि. नं. 857 पुलिस थाना पारसोला के बयान सी.डब्ल्यु. 1 के रूप में लेखबद्ध किये गये, जिसने कथन किया है कि अभियुक्त मजदूरी करने बाहर गया है, जिसका कोई अता पता नहीं है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस मामले में अभियुक्त उपस्थित नहीं हो रहा है एवं तामील कुनिन्दा के बयान के अनुसार भी अभियुक्त उसकी सकूनत पर नहीं रह रहा है। इससे न्यायालय संतुष्ट है कि अभियुक्त स्वयं की गिरफ्तारी से बचते हुये फरार हो गई है। अतः अभियुक्त रमेश को मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82-83 द.प्र.सं. की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे। थाने से भगौड़ा रजिस्टर के दर्ज क्रमांक मय दिनांक तलब किये जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त के मफरूर होने से कोई भाग नष्ट नही किये जाने का नोट लाल स्याही से मोटे अक्षरों में अंकित किया जावे। Sd/- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरियावद जिला प्रतापगढ़ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)	स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी 28/11/2024